



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03112020-222921
CG-DL-E-03112020-222921

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 561]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 3, 2020/कार्तिक 12, 1942

No. 561]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 3, 2020/KARTIKA 12, 1942

शिक्षा मंत्रालय
(स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग)
(प्रौढ शिक्षा निदेशालय)
शुद्धिपत्र
नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2020

सा.का. नि. 685 (अ).—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की दिनांक 3 जून, 2015 की अधिसूचना जिसमें संघ लोक सेवा आयोग [परामर्श से छूट] विनियम 1958 की अनुसूची -II में निम्नलिखित पैरा जोड़ा गया है, के अनुसरण में

“ 6. 9300 से 34800/- रु. के वेतन बैंड-2 में 4800 रु. से कम ग्रेड वेतन वाले सभी समूह 'ख' पद जिन्हें प्रतिनियुक्ति [लघु अवधि अनुबंध सहित] द्वारा भरा जाता है।

2. यह सूचित किया जाता है कि शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा 15 सितम्बर, 2014 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित प्रौढ शिक्षा निदेशालय में अधीक्षक की नियुक्ति हेतु भर्ती नियमों के कॉलम [13] में उल्लेख किया गया है कि: “किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है” को अब निम्नानुसार पढ़ा जाए

“किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है”

[फा. सं.2-03/2020-DAE(E)]

विपिन कुमार, संयुक्त सचिव (प्रौढ शिक्षा और समन्वय) एवं महानिदेश, एनएलएमए

MINISTRY OF EDUCATION
(Department of School Education and Literacy)
(DIRECTORATE OF ADULT EDUCATION)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 2nd November, 2020

G.S.R. 685(E).—In accordance to the Department of Personnel and Training's Notification dated 03rd June 2015 wherein the following para is added to the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulation 1958, in the Schedule II.

“ 6, All Group ‘B’ posts carrying a Grade Pay Less than Rs.4800/- in Pay Band-2 of Rs.9300 to 34800/- filled by the method of deputation (including Short-Term Contract).”

2. It is notified that Recruitment Rules for appointment of Superintendent in Directorate of Adult Education, published by Ministry of Education, Department of School Education & Literacy in Gazette of India on 15th September, 2014, wherein Column (13) states: “Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation” may now be read as under:

“Consultation with Union Public Service Commission is not necessary while appointing an officer on deputation”

[F.No.2-03/2020-DAE (E)]

VIPIN KUMAR, Jt. Secy. (AE & Coord) & DG, NLMA